भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 76

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

हिसार में सीएसआर निधि का उपयोग

76. श्री जय प्रकाशः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य में हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत खर्च की गई निधि की राशि कितनी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की कई कंपनियों ने निर्धारित सीएसआर व्यय लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया है और कुछ परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कंपनियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अनिवार्य सीएसआर दायित्वों के तहत प्रभावी ढंग से खर्च करें; और

(घ) क्या सरकार देश में सीएसआर व्यय पर एक पारदर्शी जिला-वार / क्षेत्र-वार रिपोर्ट जारी करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर आंकडे नहीं रखता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखे जा सकते हैं। एमसीए21 कंपनियों द्वारा रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हरियाणा में जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।

जारी...2/-

(ख) से (घ): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा वार्षिक रूप से फ़ाइल करना अपेक्षित है। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू सीएसआर नीति का प्रकटन करना होता है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस बाबत प्रमाणित करेगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के विवरण को सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट करना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है, जो कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और परियोजना के क्रियान्वयन क्षेत्र की पहचान करने के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रावधान जहां परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा आदि के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपे गये कार्यकलाप (कार्यकलापों पर) खर्च की गई है। कंपनियों और चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में विस्तृत जांच की जाती है और यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से संदर्भित वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हरियाणा में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	**जिलें**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	अंबाला	18.12	15.15
2	भिवानी	5.86	7.72
3	चरखी दादरी	-	-
4	फरीदाबाद	77.49	104.47
5	फतेहाबाद	6.52	7.77
6	गुरुग्राम	291.71	335.07
7	हिसार	21.49	38.48
8	झज्जर	34.15	38.74
9	जींद	2.48	1.82
10	कैथल	0.53	1.26
11	करनाल	10.53	11.72
12	कुरुक्षेत्र	4.69	3.31
13	महेंद्रगढ़	3.82	3.98
14	नूह	51.49	24.22
15	पलवल	0.60	0.05
16	पंचकुला	16.29	20.71
17	पानीपत	25.17	28.53
18	रेवाड़ी	33.18	52.45
19	रोहतक	10.82	14.36
20	सिरसा	6.68	5.55
21	सोनीपत	57.10	42.65
22	यमुनानगर	7.49	5.14
23	जिले को अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया	34.18	53.81
	कुल	**720.38**	**816.95**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से संदर्भित वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हरियाणा में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	कृषि वानिकी	2.67	0.60
2	पशु कल्याण	26.38	31.30
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	2.27	0.56
4	कला और संस्कृति	8.70	13.70
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	21.08	17.98
6	शिक्षा	243.46	273.57
7	पर्यावरणीय स्थिरता	82.08	81.70
8	लैंगिक समानता	1.59	1.13
9	स्वास्थ्य देखभाल	123.79	148.77
10	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	11.29	12.01
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	22.75	33.35
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	71.98	42.40
13	सुरक्षित पेयजल	2.91	5.70
14	स्वच्छता	5.24	8.71
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	11.38	16.88
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	1.16	1.67
17	अनाथालय की स्थापना	1.10	2.08
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.34	0.31
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.30	2.68
20	विशेष शिक्षा	11.29	13.49
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	-	0.05
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	6.00	12.25
23	व्यावसायिक कौशल	55.99	90.43
24	महिला सशक्तिकरण	6.63	5.43
25	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	-	0.21
	कुल	**720.38**	**816.95**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****